

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 32/अलवर 19 17-78

यह प्रमाणित किया जाता है कि हालिया शिक्षा समिति

दरबारपुर जिला अलवर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक २० अक्टूबर माह १९७८ सन् एक हजार नौ सो २००९ को
अलवर में दिया गया।


रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर।